

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :-2299 / 2023

निर्मल कुमार पुरोहित (कर्मचारी आई.डी.—आरजेबीडब्ल्यू202008032818)

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 09.08.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धरियावाद जिला प्रतापगढ़ से चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनोरी (Kanore), उदयपुर किया गया था। उक्त स्थानांतरण आदेश में शर्त संख्या 2 निम्न प्रकार से है:-
“जिन व्याख्याताओं का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करावाया जावे।”
उक्त शर्त के कारण अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया, क्योंकि अपीलार्थी परीवीक्षाकाल में था।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आलौच्य आदेश में वर्णित शर्त की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है।
3. वर्तमान में अपीलार्थी का 2 वर्ष का परीवीक्षा काल पूरा हो चुका है। ऐसे में अब उक्त शर्त अपीलार्थी पर लागू नहीं होती है। अपीलार्थी को कार्यमुक्त केवल इस आधार पर नहीं किया गया था कि अपीलार्थी परीवीक्षाकाल में है। वर्तमान में अपीलार्थी का परीवीक्षाकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश की पालना में कोई बाधा नहीं रही है।
4. अतः अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के स्थानांतरण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 09.08.2022 (अनुलग्नक-1) की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)